न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2019/ 2078 दिनांक – 30-8-19

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 दलपतसिंह 2 हरीसिंह पिसरान पदमसिंह जाति पुरोहित निवासी पुरोहितो की बस्ती (मूढो की ढाणी) कवास तहसील व जिला बाडमेर।		1 खुशालसिंह 2 धर्मसिंह 3 प्रहलादसिंह पिसरान पूनमसिंह 4 बाबूसिंह पुत्र पदमसिंह जाति पुरोहित 5 बींजाराम पुत्र मगाराम जाति मेघवाल निवासी पुरोहितो की बस्ती (मूढो की ढाणी) तहसील व जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :– 936/2018 दिनांक– 20/08/15

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा पुरोहितों की बस्ती पटवार क्षेत्र मूढों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 173 रकबा 18.19 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक– 20-8-19

क्रमांक :– रीडर/2019/ 2079– 2082

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी मूढों की ढाणी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. दलपतसिह पुत्र पदमसिंह वगैराह जाति पुरोहित निवासी पुरोहितों की बस्ती (मूढो की ढाणी) तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी खुशालसिह पुत्र पूनमसिंह वगैराह जाति पुरोहित निवासी पुरोहितों की बस्ती (मूढों की ढाणी) तहसील व जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

Scanned by CamScanner